झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान– सभा
(बजट) सत्र
वर्ग– 02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 11 फाल्गुन, 1942 (श0) को / 02 मार्च, 2021 (ई0)

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई रा0 संख्या,	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
29–	सo– 09	श्री चन्देश्वर प्रसाद सिंह	सेवा नियमितिकरण करना।	स्कू0शिक्षा एवं सा0	22.02.2021
30–	टन– 12	श्री अनन्त कुमार ओझा	धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण।	पर्यटन,कला संस्कृति खेल एवं युवा कार्य	25.02.2021
31–	ख– 01	श्री भानु प्रताप शाही	निःशुल्क बालू उपलब्ध करना।	खान एवं भूतत्व	22.02.2021
32–	टन– 09	श्री समीर कुमार मोहन्ती	स्टेडियम विकसित करना।	पर्यटन,कला संस्कृति खेल एवं युवा कार्य	25.02.2021
33–	वन– 12	श्री दिनेश विलियम मराण्डी	प्रक्षेत्रों को मुक्त करना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	24.02.2021
34–	उत– 11	डॉ0 इरफान अंसारी	शिक्षकों की नियुक्ति	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25.02.2021
35–	सा– 30	श्री दीपक बिरूवा	संकल्प को संशोधित करना।	स्कूली शिक्षा एवं सा0	24.02.2021
36–	सा– 18	श्रीमती अपणासेन गुप्ता	सी0बी0एस0ई0 से जोड़ना।	स्कूली शिक्षा एवं सा0	24.02.2021

* 37–	टन–	07	श्रीमती सीता सोरेन	शहीद स्मारक बनाना।	पर्यटन,कला संस्कृति खेल एवं युवा कार्य	22.02.2021
38–	उत–	21	श्री दिनेश विलियम मराण्डी	स्नातक कॉलेज का निर्माण कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.02.2021
Δ 39–	टन–	06	श्री आलोक कु0 चौरसिया	पार्कों का सौंदर्यीकरण	पर्यटन,कला संस्कृति खेल एवं युवा कार्य	22.02.2021
40–	टन–	01	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	बॉलीबाल प्रशिक्षण केंद्र बनाना।	पर्य0क0सं0 खे0कू0एवं यु0का0	17.02.2021
41–	सा0–	16	श्री अमित कुमार मंडल	स्कूल की मान्यता रद्द करना।	स्कू0शिक्षा एवं सा0	24.02.2021
# 42–	उत–	06	श्री कोचे मुण्डा	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.02.2021
43–	सा0–	24	श्री राजेश कच्छप	प्रोजेक्ट विद्यालय को चालू करना।	स्कू0शिक्षा एवं सा0	24.02.2021
44–	टन–	11	श्री रामचन्द्र सिंह	पर्यटन हब के रूप में विकसित करना।	पर्य0क0सं0 खे0कू0एवं यु0का0	25.02.2021
45–	खा–	08	श्री लोबिन हेम्ब्रम	आश्रितों को मुआवजा दिलाना।	खान एवं भूतत्व	24.02.2021
46–	खा–	05	श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता	बालू माफियाओं पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	24.02.2021
47–	उत–	15	श्री लम्बोदर महतो	महिला अभियंत्रण महा–विद्यालय संचालित करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25.02.2021
48–	टन–	13	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	स्टेडियम का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण।	पर्य0क0सं0 खे0कू0एवं यु0का0	25.02.2021
49–	वन–	04	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	दोषी पदाधिकारी/संवेदक पर कार्रवाई।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	17.02.2021
50–	सा0–	21	श्री केदार हजरा	उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना।	स्कू0शिक्षा एवं सा0	24.02.2021

(कृ0 पृ0 उ0)

* → पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के ज्ञापांक–420/01.03.21 द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को स्थानांतरित।

Δ → पर्यटन, कला-संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के ज्ञापांक–390/25.02.21 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को स्थानांतरित।

→ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापांक–265/25.02.21 द्वारा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग को स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
* 51– ख–	11	श्री संजीव सरदार	विस्थापित परिवारों का नियोजन करना।	खान एवं भूतत्व	25.02.2021
52– ख–	07	श्री लोबिन हेम्ब्रम	प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय करना।	खान एवं भूतत्व	25.02.2021
53– स0–	08	श्री अमित कुमार यादव	सेवा नियोजित करना।	स्कू0शिक्षा एवं सा0	22.02.2021
# 54– टन–	08	श्रीमती सीता सोरेन	फिल्म सिटी बनाना।	पर्य0क0सं0 खे0कू0एवं यु0का0	22.02.2021
55– टन–	14	श्रीमती पुष्पा देवी	पर्यटन स्थल का दर्जा देना।	पर्य0क0सं0 खे0कू0एवं यु0का0	25.02.2021
56– स0–	03	श्री दशरथ गागराई	विद्यालय भवन का निर्माण कराना।	स्कू0शिक्षा एवं सा0	22.02.2021
57– उत–	10	डॉ0 इरफान अंसारी	इंजिनियरींग कॉलेज खोलना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25.02.2021
58– ख–	06	श्री कमलेश कुमार सिंह	वैकल्पिक व्यवस्था से बालू उठाव कराना।	खान एवं भूतत्व	24.02.2021
59– स0–	17	श्री सुदेश कुमार महतो	+2 विद्यालय की सुविधा देना।	स्कू0शिक्षा एवं सा0	24.02.2021
60– स0–	31	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	बी0आर0पी0/सी0आर0पी0 को समायोजित करना।	स्कू0शिक्षा एवं सा0	24.02.2021
61– उत–	05	श्री किशुन कुमार दास	आई0टी0आई0 एवं इंजिनियरींग कॉलेज खोलना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.02.2021
62– टन–	22	श्री नारायण दास	धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण	पर्य0क0सं0 खे0कू0एवं यु0का0	24.02.2021
63– स–	27	श्री दीपक बिरूवा	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना।	स्कू0शिक्षा एवं सा0	24.02.2021
64– उत–	02	श्री मनीष जायसवाल	पठन–पाठन कार्य प्रारंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.02.2021
65– उत–	13	श्री केदार हजरा	उच्च विद्यालय को उत्क्रमित करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25.02.2021

(कृ0 पृ0 उ0)

*--> खान एवं भूतत्व विभाग के ज्ञापांक–549/26.02.21 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को स्थानांतरित।

#-> पर्यटन, कला संस्कृति ~~एवं~~ खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के ज्ञापांक 391/25.02.21 द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को स्थानांतरित।

66–	टन– 17	सुश्री अम्बा प्रसाद	पर्यटन स्थल का दर्जा देना।	पर्य०क०सं० खे०कू०एवं यु०का०	25.02.2021
67–	टन– 23	श्री दुलू महतो	पर्यटन स्थल को विकसित करना।	पर्य०क०सं० खे०कू०एवं यु०का०	24.02.2021
68–	वन– 11	डॉ० लम्बोदर महतो	वनरक्षी के पद पर नियुक्ति	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	24.02.2021
69–	उ– 01	श्री अमित कुमार यादव	फैक्ट्री चालू कराना।	उद्योग	22.02.2021
# 70–	सा०– 07	श्री कोचे मुण्डा	महाविद्यालय बनाना।	स्कू०शिक्षा एवं सा०	22.02.2021
71–	उत– 16	श्री मंगल कालिन्दी	कॉलेज स्थापित करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.02.2021
72–	सा०– 15	श्री किशुन कुमार दास	कर्मी एवं शिक्षकों की सेवा नियमित करना।	स्कू०शिक्षा एवं सा०	24.02.2021
* 73–	सुई– 01	श्री सोनाराम सिंकु	संस्थानों का नामकरण करना।	सूचना प्रौद्यो० एवं ई–गवर्नेंस	24.02.2021
74–	टन– 21	श्री नारायण दास	तालाब का सौंदर्यीकरण करना।	पर्य०क०सं० खे०कू०एवं यु०का०	24.02.2021
75–	सा०– 26	श्री संजीव सरदार	शिक्षकों को अन्य कार्य से मुक्त करना।	स्कू०शिक्षा एवं सा०	24.02.2021
76–	उत– 18	प्रो० स्टीफन मराण्डी	छात्र–छात्राओं का पठन–पाठन चालू कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	24.02.2021
77–	वन– 08	श्री रामचन्द्र सिंह	ग्रामीणों को वन पट्टा देना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	24.02.2021
78–	उत– 04	श्री बंधु तिर्की	प्रोन्नति निरस्त करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.02.2021
79–	सा०– 14	श्री अमित कुमार मंडल	शिक्षकों को प्रोन्नति देना।	स्कू०शिक्षा एवं सा०	24.02.2021

→ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आपांक– 618/26.2.21 द्वारा उच्च एवं (उ० पु० उ०) तकनीकी शिक्षा विभाग को स्थानांतरित।

* → सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई– गवर्नेंस विभाग के आपांक– 398/26.02.21 द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को स्थानांतरित।

Δ → वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आपांक– 677/25.02.21 द्वारा अनु० जन०, अल्पु० भा०, एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण ~~समिति~~ विभाग को स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
80–	टन– 24	श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता	डैम को विकसित करना।	पर्य0क0सं0 खे0कू0एवं यु0का0	24.02.2021
81–	स0– 05	श्री दशरथ गागराई	विद्यालय भवन का निर्माण करना।	स्कू0शिक्षा एवं सा0	22.02.2021
82–	स0– 29	श्री सोनाराम सिंकु	प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित करना।	स्कू0शिक्षा एवं सा0	24.02.2021
83–	स0– 02	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	जिला शिक्षा अधीक्षक पर कार्रवाई।	स्कू0शिक्षा एवं सा0	17.02.2021

रॉंची,
दिनांक– 02 मार्च, 2021 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0–झा0वि0स0 प्रश्न–03/2020–.....687...../वि0स0, रांची, दिनांक– 28/02/2021

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/21

(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0–झा0वि0स0 प्रश्न–03/2020–.....687...../वि0स0, रांची, दिनांक– 28/02/2021

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव, (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/21

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0–झा0वि0स0 प्रश्न–03/2020–.....687...../वि0स0, रांची, दिनांक– 28/02/2021

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा/वेवसाईट शाखा एवं ऑन–लाईन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/21

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

सुभाष/–

26/02/2021

(29)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-09

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि बी.आर.पी./सी.आर.पी./एस.एस. को मानदेय के अलावा वेतनमान एवं बुनियादी सुविधा यथा ई.एस.आई., जी.पी.एफ./ई.पी.एफ., चिकित्सा भत्ता, ग्रुप बीमा परियोजना एवं अर्जित अवकाश का लाभ नहीं दिया जाता है.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि संविदा के आधार पर नियुक्त प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी/लेखापाल/कम्प्यूटर आॅपरेटर को उपरोक्त लाभ दिया जा रहा है.	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड शिक्षा परियोजना के किसी भी कर्मी को वेतनमान की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। ई.पी.एफ., चिकित्सा भत्ता एवं अर्जित अवकाश का लाभ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्राप्त होता है। क्योंकि इनका पद राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के लिए स्वीकृत किया गया है एवं इनके मानदेय का भुगतान प्रबंधन मद से किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बी.आर.पी./सी.आर.पी./एस.एस. की सेवा नियमितिकरण पूर्ण होने तक खण्ड-2 में वर्णित लाभ देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बी.आर.पी. / सी.आर.पी. / एस.एस. (विषय विशेषज्ञ) को खण्ड–2 में वर्णित लाभ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इनकी सेवा कार्यक्रम विशेष के लिए (पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान एवं वर्तमान में समग्र शिक्षा) ली जा रही है। यह पद पूर्णतः अस्थायी है।

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16 / वि.2–04 / 2021 343 / राँची, दिनांक 28.02.2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 115, दिनांक 22.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(50)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं~ टन–12 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत पूर्वी उधवा से राधानगर पंचायत स्थित "उद्धव नाला या उदय नाला" में प्रवाहित गंगा नदी के जमाव गाद, गहरीकरण, चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण नही होने के कारण पर्यटन क्षेत्र अविकसित है;	1.	**अस्वीकारात्मक** गंगा नदी के कैचमेन्ट क्षेत्र के गहरीकरण व चौरिकरण से पर्यटन क्षेत्र का विकास सीधे–सीधे संबंधित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला के उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत उद्धव मुनि आश्रम, जो एक पौराणिक व धार्मिक स्थल को जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण नहीं कराने से श्रद्धालुओं का पर्यटकीय स्थल अविकसित रूप में है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
3.	क्या यह बात सही है कि उधवा प्रखण्ड के विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण (आश्रयणी) पतौड़ा झील का सौन्दर्यीकरण नही होने के कारण आदिनांक पर्यटकीय स्थल के रूप मे स्थापित नही किया जा सका है;	3.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 मे वर्णित स्थलों मे जमाव गाद को हटाने, गहरीकरण, चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण कर मोटर बोट उपलब्ध कराने एवं खण्ड–2 मर्के एवं 3 वर्णित स्थलों को जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण कराकर स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	गंगानदी के कैचमेन्ट क्षेत्र के गहरीकरण, चौड़ीकरण व गाद हटाने का कार्य नदी क्षेत्र के अतिक्रमण से संबंधित है जो केवल पर्यटन विकास के लिए करना संभव नहीं है क्योंकि इससे उस क्षेत्र के परितंत्र पर दुस्प्रभाव पड़ेगा। उद्धव मुनि आश्रम पर्यटक स्थल अधिसूचित नही है। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है व इसे Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। इस स्थल के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ अतिरिक्त आवश्यक सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा। उधवा स्थित पक्षी अभ्यारण (पतौड़ा झील) वन्यप्राणी आश्रयणी है। वन्यप्राणी आश्रयणी में सीमित विकासात्मक कार्य ही अनुमत है। भूमि उपलब्ध होने की स्थिति मे इस स्थल पर आवश्यक कार्यों व यहाँ अनुमत कार्यों के संदर्भ मे सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा वन अनापत्ति प्राप्त होने की स्थिति में इस स्थल पर आवश्यकतानुसार विकासत्मक कार्य कराये जाने पर उपलब्ध बजट को ध्यान मे रखते हुए विचार करना संभव हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार

<u>पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग</u>

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/25/2021 419 /राँची, दिनांक 01.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–353/वि०स०, दिनांक–25/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

Jharkhand Tourism

विरेन्द्र

(31)

श्री भानु प्रताप शाही, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा0–01

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, किमवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है और यह योजना आवसहीन, गरीब व्यक्तियों के लिए हितकारी योजना है;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि बालू की बहुत ज्यादा कीमत होने की वजह से लाभुक अपना आवास को समय पर पूरा नही कर पा रहे हैं;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त की अध्यक्षता में बालू का दर प्रति 100 घनफीट 430 रू0 निर्धारित किया गया है एवं जे0एस0एम0डी0सी0 द्वारा भंडारण क्षेत्र पर 750 रू0 प्रति 100 घनफीट दर निर्धारित है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में लगने वाले बालू को निःशुल्क उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	Category-I के तहत चिन्हित बालू घाट से ग्राम पंचायत के द्वारा गैर वाणिज्यक व्यवहार हेतु बालू निःशुल्क आपूर्ति की जाती है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–11/2021 567 /एम0, राँची, दिनांक– 01.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–132 दिनांक–22.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव

(32)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 02.03.2021 को पूछित तारांकित प्रश्न संख्या–टन–09 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री समीर कुमार मोहन्ती, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत बहरागोड़ा प्रखण्ड में स्टेडियम नहीं है जिससे कि वहाँ के लोग खेलकूद की मूलभुत सुविधाओं से वंचित रह जाते है;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2015–16 में एक स्टेडियम बहरागोड़ा में स्वीकृत एवं पूर्ण है।।
2	क्या यह बात सही है कि स्टेडियम के निर्माण से खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा साथ ही खिलाड़ियों के प्रतिभा का विकास होगा;	कंडिका–1 में उत्तर निहित है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बहरागोड़ा प्रखण्ड के बड़शोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय के समीप मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में उत्तर निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–20/2021 418/ राँची, दिनांक 01-03-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–352/वि०स०, दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

श्री दिनेश विलियम मरांडी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–12 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा एवं दुमका जिला के गोपीकान्दर के कुछ प्रक्षेत्रों को Elephant Corridor घोषित किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है, कि लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के इन क्षेत्रों में कभी भी हाथी या हाथी का Movement नहीं देखा गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के इन क्षेत्रों में हाथियों का आवागमन यदाकदा पूर्व में रहा है।
3– क्या यह बात सही है, कि Elephant Corridor के घोषणा से राज्य एवं केन्द्र सरकार के विकास के कार्य इन प्रक्षेत्रों में प्रभावित अथवा अवरूद्ध होंगे ;	वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार Elephant Corridor घोषित प्रक्षेत्रों को मुक्त करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–13/2021– 726 व0प0, राँची, दिनांक– 28.02.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–216 दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संतोष 28.2.21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

(34)

डॉ० इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-02.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-11 से संबन्धित उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा महाविद्यालय में विज्ञान, उर्दू, संस्कृत एवं समाज विज्ञान संकाय में पर्याप्त शिक्षक नहीं रहने के कारण छात्र छात्राओं को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। जामताड़ा महाविद्यालय, जामताड़ा में विज्ञान तथा समाज विज्ञान विषय में शिक्षक हैं। जिन विषय में शिक्षक नहीं हैं, उन विषयों के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। विश्वविद्यालय के द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्ति/बैकलॉग नियुक्ति हेतु अभियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है। उक्त महाविद्यालय में उर्दू तथा संस्कृत विषय में शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्र हित में उपरोक्त विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका-1 में सन्निहित है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-19/2021HTESD 275 / रांची, दिनांक- 01/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-357 दिनांक-25.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021

(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव,
उच्च शिक्षा

35

460
01/03/2021

श्री दीपक बिरुवा, सo विo सo से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–सo–30

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कुल 87 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय हैं, जिसमें पo सिंहभूम जिला में 9 बालिका उच्च विद्यालय संचालित हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त कुल 116 शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं, जो विभागीय परिपत्र संo– 142, दिनांक 04/02/1989 के तहत् उनकी सेवा को मान्यता प्राप्त है;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 1984–85 चरण के परियोजना विद्यालय के पूरे राज्य के 155 शिक्षकों तथा 135 शिक्षकेत्तर कर्मियों, कुल 290 कर्मियों, जिनमें पश्चिम सिंहभूम जिले के मात्र 42 शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी सम्मिलित हैं, को त्रि–सदस्यीय आलम समिति की अनुशंसा, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेश एवं विभागीय संकल्प संख्या 1272 दिनांक 25.04.2018 द्वारा निर्धारित नीति के आलोक में अब तक सेवा की मान्यता दी जा चुकी है।
3	क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संo–1272 दिनांक 25/04/2018 के आलोक में शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या 1272 दिनांक 25.04.2018 द्वारा वर्ष 1984–85 चरण के परियोजना विद्यालय के छूटे हुए वैध शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता हेतु नीति निर्धारित करते हुए नियमानुसार उनके सेवा मान्यता एवं वेतनादि भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।
4	क्या यह बात सही है कि उक्त संकल्प के मामले पर दिनांक 05/09/2018 को झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय में यह टिप्पणी की गई है कि विभागीय संकल्प पर आंशिक संशोधन कर वेतन भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करनी थी;	वर्ष 1984–85 चरण के परियोजना विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा अपनी सेवा मान्यता एवं वेतनादि भुगतान हेतु दायर 227 वादों को संबद्ध करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2018 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसमें विभागीय संकल्प संख्या 1272 दिनांक 25.04.2018 में कतिपय संशोधन का न्यायनिदेश भी पारित है। उक्त पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा कुल 143 एल.पी.ए. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसमें न्यायादेश प्रतीक्षित है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–3 में वर्णित विभागीय संकल्प को आंशिक संशोधन कर वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं हो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–4 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

01.03.2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–18 / 2021 460 राँची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

36

459
01/03/2021

श्रीमती अर्पणा सेन गुप्ता, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–18 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के 80 सरकारी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से जोड़ने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड निरसा के पोद्दारडीह अन्तर्गत राजकीयकृत उच्च विद्यालय, पाण्ड्रा, पोद्दारडीह को अब तक 10+2 की मान्यता नहीं दी गयी है, मान्यता नहीं मिलने के कारण आस–पास के गाँव के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि राजकीयकृत उच्च विद्यालय, पाण्ड्रा, पोद्दारडीह, धनबाद से लगभग 08 कि0मी0 की दूरी पर के.एस.जी.एम. कॉलेज, निरसा, धनबाद एवं 15 कि0मी0 की दूरी पर जे. के.आर.आर. +2 उच्च विद्यालय, चिरकुंडा संचालित है।
3	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड निरसा के राजकीयकृत उच्च विद्यालय, पाण्ड्रा में 867, एगारकुण्ड प्रखण्ड के मुगमा उच्च विद्यालय में 438 तथा उच्च विद्यालय, सालुकधापड़ा में 473 छात्र एवं छात्राएँ अध्ययनरत हैं;	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीयकृत उच्च विद्यालय, पाण्ड्रा, पोद्दारडीह को 10+2 की मान्यता देकर सी0बी0एस0ई0 से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–1471 दिनांक 15.09.2020 द्वारा राज्य के सभी जिलों को आवश्यकतानुसार +2 विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन कर +2 विद्यालय में उत्क्रमण हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया है। कई जिलों से अनुशंसित सूची उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु कतिपय जिले से सूची अप्राप्त है। प्राप्त सूची की विभाग के स्तर पर समीक्षा की जा रही है एवं शेष अप्राप्त जिले से भी सूची की मांग की गयी है।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–15/2021 459 राँची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

(38)

श्री दिनेश विलियम मराण्डी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-02.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-21 से संबन्धित उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति एवं पहाड़िया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि यहाँ के छात्र-छात्राएँ अत्यंत गरीब हैं, जिसके कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
3.	क्या यह बात सही है कि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं पहाड़िया जनजातियों के लिए कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी ;	पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक-328 दिनांक-25.09.2019 द्वारा रू० 15,76,99,600/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा पत्रांक-352 दिनांक-24.10.2019 द्वारा रू० 1,00,00,000/- की राशि विमुक्त की गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन गरीब छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में एक स्नातक कॉलेज के निर्माण की मंशा रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका-3 में सन्निहित है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHEsec1/बजट सत्र 2021-8/2021/HTESD 277 / रांची, दिनांक- 01/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-190 दिनांक-24.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021

(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव,
उच्च शिक्षा

(39)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–02.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–टन–06 का उत्तर:–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला में महान विभूतियों, महापुरूष और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पार्कों का नामकरण एवं चौक चौराहों पर लगे प्रतिमाओं का सम्मान प्रति वर्ष उनके यादगार में मनाये जाते रहे है तथा कार्यक्रम स्थल पर साफ–सफाई की जाती है उसके बाद उक्त स्थानों पर ससमय साफ–सफाई नहीं होने से कुड़ा एवं गन्दगी का अम्बार लग जाता है;	अस्वीकारात्मक। पलामू जिला के अन्तर्गत स्थित शहरी स्थानीय निकाय यथा–मेदिनीनगर नगर निगम, विश्रामपुर नगर परिषद, छत्तरपुर नगर पंचायत एवं हुसैनाबाद नगर पंचायत अन्तर्गत महान विभूतियों, महापुरूष और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से निर्मित पार्क एवं चौक चौराहों पर लगे प्रतिमाओं का सम्मान दिया जाता है एवं नियमित रूप से साफ–सफाई की जाती है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित सिन्दु–कान्हू पार्क एवं अम्बेदकर पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं उसकी बचाव के लिए नगर निगम या विभागीय पदा० को प्रतिनियुक्त कर समय–समय पर साफ–सफाई एवं नौका विहार पुनः आरंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	1. मेदिनीनगर नगर निगम के अधीन अवस्थित अम्बेदकर पार्क (तालाब) का सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। लागत राशि 4,15,26,812/– रूपये है। एकरारनामा के अनुसार सौन्दर्यीकरण का कार्य 15 माह में पूर्ण करा लिया जाएगा। तालाब के पानी को स्वच्छ रखने हेतु Sewerage Treatment Plant (STP) निर्माण की योजना है। जिसकी लागत राशि 2,84,53,214/– रूपये है। STP निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। 2. इस योजना में नौका विहार का प्रावधान नहीं है। 3. मेदिनीनगर नगर निगम के अधीन अवस्थित सिन्दु–कान्हू पार्क (तालाब) मत्स्य विभाग के अधीन है। उक्त तालाब के हस्तांतरण हेतु पत्रांक–370, दिनांक–04.02.2021 से प्रस्ताव मत्स्य विभाग को भेजी गई है। सिन्दु–कान्हू पार्क (तालाब) सौन्दर्यीकरण के योजना का प्रस्ताव 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5/न०वि०/तारांकित–04/2021 ....755 रॉची, दिनांक :– 01/03/21

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का पत्रांक–127 दिनांक–22.02.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

E:\2021 Vidhan Sabha Question ...

(210)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक-02.03.2021 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या -टन-01 का उत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि अपर समाहर्त्ता, राँची के द्वारा राँची जिला के खेलारी अंचल अंतर्गत बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण हेतु मौजा-कोनका, थाना नं०-8, खाता नं०-26, प्लॉट नं० -102, रकबा-40 डिसमिल गैरमजरूआ भूमि पर बॉलीबॉल प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण हेतु विभाग को पत्राचार किया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मैक्लुस्कीगंज में बॉलीबॉल (बालक एवं बालिका) डे-बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत है, परन्तु यह केन्द्र वर्त्तमान में संचालित नहीं है जिसे प्रारंभ किए जाने का निदेश पूर्व में ही जिला प्रशासन को दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है, कि उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर अन्य जनहित के कार्य कराये गये है, जैसे- पर्यटन सूचना केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन, सरकारी विश्रामगृह, पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया जा चुका है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मैक्लुस्कीगंज में बॉलीबॉल प्रशिक्षण केन्द्र बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका-1 में निहित है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०-04/2021 407/ — राँची, दिनांक 01-03-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०-59/वि०स०, दिनांक-17.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(41)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री अमित कुमार मण्डल, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-16

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 416, दिनांक 14.03.2020 के द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से संत थाॅमस स्कूल, गोड्डा का प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की समीक्षा करते हुए मान्यता के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु शैक्षणिक बोर्ड को सूचना प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था? जो अब तक अप्राप्त है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक 671 दिनांक 02.05.2019 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग दो वर्ष पूर्व की गई थी, लेकिन 02 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009/011 के आलोक में संत थाॅमस स्कूल, गोड्डा में नहीं किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभागीय आदेश की अवहेलना करने जैसे मामले पर स्कूल की मान्यता रद्द करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मामले की जाँच की जा रही है नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

ह०/- 28/2/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–13/2021..336..../राँची, दिनांक .28-02-2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 166, दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 28/2/21
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(42)

255
26/02/2021

श्री कोचे मुण्डा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–02.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–उत–06 की उत्तर सामग्री:–

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता श्री कोचे मुण्डा माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है, कि सिमडेगा जिला के बानो प्रखण्ड में कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं होने के कारण यहाँ के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु सिमडेगा, खूँटी एवं राँची जाना पड़ता है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है, कि बानो प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुल जाने से यहाँ के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त होने से वे अपना रोजगार अथवा नौकरी कर सकेंगे, जिससे उनकी बेरोजगारी दूर होगी;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बानो प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2020–21 में सिमडेगा जिला अन्तर्गत बानो प्रखण्ड में LWE के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं छात्रावास का निर्माण के लिए राशि रूपये 5,73,82,100/– (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख बयासी हजार एक सौ) मात्र आवंटित की जा चुकी है।

26/2/21

(अनिल कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–1/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–04/2021श्र0नि0–255 राँची, दिनांक–26/02/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–122, दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/2/21

सरकार के उप सचिव।

E:\Sanjiv\Prem Bhagat\Vidhan Sabha\03-04-2021.docx

ज्ञापांक–1 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–04 / 2021श्र0नि0–255 राँची, दिनांक–26/02/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को उनके पत्रांक–265, दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/2/21

सरकार के उप सचिव।

43

462
01/03/2021

श्री राजेश कच्छप, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–24

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के अनगड़ा प्रखण्ड में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, अनगड़ा में बालिकाओं के लिए 1984–85 से संचालित एक मात्र विद्यालय को बन्द कर दिया गया है,	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1984–85 चरण के परियोजना विद्यालय में प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त शिक्षकों की सेवा मान्यता पर विचार हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में गठित आलम समिति द्वारा वर्ष 2007 में समर्पित अपने प्रतिवेदन में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, अनगड़ा, राँची के संबंध में प्रतिवेदित किया गया था कि – "वर्ष 1985 से वर्ष 2006 के बीच छात्राओं का नामांकन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2000 से छात्राओं के नामांकन में उत्तरोत्तर रूप से गिरावट आयी है। वर्ष 2006 में नामांकित छात्राओं की संख्या घट कर 14 पर पहुँच गयी है। विद्यालय की अपनी भूमि भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में 14 छात्राओं के लिये विद्यालय को मान्यता देकर संचालित रखा जाना समिति की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। आलम समिति द्वारा उक्त आधार पर ही वर्ष 1984–85 में स्थापित राज्य के कुल 04 परियोजना विद्यालयों यथा :– परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, अमड़ापाड़ा, पाकुड़, राजीव गांधी परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, महेशपुर, पाकुड़, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, तालझारी, साहेबगंज एवं परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, अनगड़ा, राँची को बंद करने की अनुशंसा की गयी थी। बाद में पुनः मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार की संकल्प संख्या–1272 दिनांक 25.04.2018 की कंडिका–06 द्वारा भी उक्त चारों विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा इन विद्यालयों के छात्र–छात्राओं का नामांकन सुविधानुसार निकटस्थ उच्च विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची के कार्यालय ज्ञापांक 642 दिनांक 15.03.2019 द्वारा परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, अनगड़ा, राँची के निकटवर्ती विद्यालय राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय, चिलदाग, अनगड़ा, राँची के साथ संबद्ध करते हुए शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि यह विद्यालय छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े इलाके में प्रत्येक प्रखण्ड में एक बालिका विद्यालय खोला गया था;	स्वीकारात्मक है।

3	क्या यह बात सही है कि विद्यालय बन्द होने के कारण मूलभूत सुविधा, संसाधन भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि बर्बाद हो रही है तथा बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हुई है.	अस्वीकारात्मक है। परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, अनगड़ा, रांची को राज्य सम्पोषित +2 उच्च विद्यालय, चिलदाग, अनगड़ा, रांची से समबद्ध किये जाने के उपरान्त उक्त विद्यालय का प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अभिलेख एवं उपस्कर आदि का उपयोग राज्य सम्पोषित +2 उच्च विद्यालय, चिलदाग, अनगड़ा, रांची में किया जा रहा है। परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, अनगड़ा, रांची में वर्ष 2000 से छात्राओं के नामांकन में उत्तरोत्तर गिरावट होने के कारण विद्यालय को बंद करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं का नामांकन निकटस्थ राज्य सम्पोषित +2 उच्च विद्यालय चिलदाग, अनगड़ा, रांची में किया गया है। फलस्वरूप छात्र–छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था में कमी नहीं आई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, अनगड़ा को पुनः खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं हो क्यों ?	कंडिका–01 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

01/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–14/2021 462 राँची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021

सरकार के उप सचिव।

(44)

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–11 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार एवं पलामू, जिला अन्तर्गत अवस्थित पर्यटन स्थल जैसे नेतरहाट, Sun ruse/Sun set point, Hill stations, अपर घघरी, लोहर घघरी फॉल, महुआडाड का लोध फॉल, गारू प्रखण्ड का सुगा बांध फॉल, बेतला पार्क, पलामू किला जहाँ सालोभर राज्य एवं राज्य के बाहर के सैलानी आते है को पर्यटन हब (गलियारा) बनाकर विकसित करने से झारखण्ड प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थलों को पर्यटन हब (Tourise Corridor) के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2.	पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत दलमा–चाडिल–गेतलसुद–बेतला–मिरचाईया–नेतरहाट ईको टूरिज्म सर्किट के विकास कार्य चल रहा है। इस परियोजना हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रू० 52.72 करोड़ की स्वीकृत प्राप्त है। इस परियोजनान्तर्गत लातेहार जिला में बेतला, नेतरहाट, सनसेट प्वाईट, मिरचाईया फॉल, कोयल व्यू प्वाईट नेतरहाट, नेतरहाट लेक में विकास, सौंदर्यीकरण एवं पर्यटक सुविधा निर्माण किया जाना है तथा नेतरहाट में बस टर्मिनल का भी निर्माण किया जाना है। पर्यटन क्षेत्र का विकास एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें समय–समय पर आवश्यकतानुसार पर्यटकों हेतु सुविधा में वृद्धि व सौंदर्यीकरण कार्य कराया जाता है। खण्ड(1) में वर्णित स्थल वर्त्तमान में बेतला–नेतरहाट पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित है। नेतरहाट में पर्यटकों के आवासन हेतु होटल प्रभात विहार, 20 कमरों का टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स व अन्य निजी होटल उपलब्ध है। बेतला में भी होटल वन विहार उपलब्ध है। विगत वर्षों में जिला पर्यटन संवर्धन समिति के माध्यम से पर्यटक स्थलों के विकास हेतु उपायुक्त को दिये गए अनाबद्ध निधि से – लोध फॉल, झरिया डैम, सुगाबाँध, दोमुहान (मनिका), सनसेट प्वाईट पर शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सनसेट प्वाईट, अपर झरिया घाटी व बेतला में LED Street Light अधिष्ठापन कराया गया है। लोध फॉल, पलामू किला व बेतला के संरक्षित वन क्षेत्र (वन्य प्राणी अभ्यारण्य) होने के कारण यहाँ सीमीत विकासात्मक कार्य ही अनुमत है। इन स्थलों पर शौचालय व पेयजल सुविधा उपलब्ध है। खण्ड (1) में वर्णित स्थलों पर पर्यटक घूमने के लिए जाते है। इन स्थलों पर सुविधा विकास व प्रचार–प्रसार से इन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 24 / 2021 H20 / राँची, दिनांक 01-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–351 / वि०स०, दिनांक–25 / 02 / 2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(45)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, स० वि० स० द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–08

(50)

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क०सं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पाकुड़–बड़हरवा मुख्य पथ के साहेबगंज जिलान्तर्गत कोटलपोखर थाना क्षेत्र के मयुरकोला गाँव के समीप वर्षों से बंद पड़े पत्थर खादानों में नहाने के क्रम में पैर फिसल कर चादमुनि बेवा, उम्र–45 वर्ष की डुबकर मृत्यु हो गई;	अस्वीकारात्मक। जिला खनन कार्यालय साहेबगंज के प्रतिवेदन के अनुसार थाना प्रभारी कोटलपोखर द्वारा सूचित किया गया है कि चादमुनि बेवा, उम्र–45 वर्ष, ग्राम–मयुरकोला, थाना–कोटालपोखर, जिला–साहेबगंज के पानी में डूबने से मृत्यु के संबंध में किसी परिजन या ग्रामीण के द्वारा सूचना थाना में अप्राप्त है और न ही इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज है।
2-	क्या यह बात सही है, कि गाँव के लड़कों ने उसे पानी से निकालकर स्थानीय चिकित्सक के यहाँ ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक ने मृत घोषित किया;	अस्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है, कि ऐसे कई खादानों है, जो कई जगहों पर तालाब में तब्दील हो गया है;	अस्वीकारात्मक।
4-	क्या यह बात सही है, कि खादानों से पत्थर निकालने के पश्चात लीजधारी के द्वारा नियमानुसार उसको भरकर समतलीकरण करते तो घटना नहीं घटती, और चादमुनि बेवा की मौत नहीं होती;	लघु खनिज समानुदान संशोधन नियमावली, 2014 के अनुसार खदानों का अवधि समाप्त होने के पश्चात Approved Mining Plan के अन्तर्गत Mine closure plan में वर्णित शर्त एवं बन्धेज के प्रावधानुसार कार्य किए जा रहे हैं।
5-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चादमुनि बेवा के आश्रितों को मुआवजा एवं खादान मालिक पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–24/2021 570 /एम0, राँची, दिनांक– 01.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–209 दिनांक–24.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021

सरकार के उप सचिव

(46)

श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स० वि० स०द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खo–05

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क०सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला के पांकी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अमानत नदी एवं अन्य सभी नदियों से बालू का उठाव पर पूरी तरह से रोक लगा हुआ है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। पलामू जिला के पांकी विधानसभा के पांकी अंचल में 04, लेस्लीगंज अंचल में 02, मनातू अंचल में 02 एवं तरहसी अंचल में 02 Category-I बालूघाट चिन्हित है, तथा लेस्लीगंज अंचल में जोलंगा बालूघाट संचालित है।
2-	क्या यह बात सही है कि बालू माफियों तथा जिला खनन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तर के BDO/COतथा थाना के मिली भगत से मेरे क्षेत्र के आम गाड़ी औनर के गाड़ी को पकड़ा जा रहा है और मनचाहा पैसा की वसूली की जा रही है जबकि बालू माफियों को बालू उठाने दिया जा रहा है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुतः बालू खनिज के अवैध खनन/परिवहन के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जाती है, वर्षवार ब्योरा निम्नवत् है:–

वर्ष	अवैध खनन/परिवहन दर्ज प्राथमिकी की संख्या	प्राथमिकी में जब्त वाहनों की संख्या एवं प्रकार	अवैध परिवहन में जब्त वाहनों की संख्या एवं प्रकार	अवैध परिवहन में जब्त वाहनों से वसूली की गई जुर्माना की राशि
2018–19	20	68	48	416300.00
2019–20	31	88	120	1192121.00
2020–21 (माह दिसंबर, 2020 तक	29	77	109	951000.00

3-	क्या यह बात सही है कि बालू के उठाव नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का कार्य ठप हो गया है साथ ही मजबूरन लाभुकों को अत्यधिक दाम पर बालू माफियों से बालू लेना पड़ रहा है;	बालू Category-I के तहत ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वयं के व्यवहार हेतु निःशुल्क आपूर्ति की जाती है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बालू माफियों पर कार्रवाई करते हुए आम जनता को उचित दाम पर बालू मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–23/2021 569 /एम0, राँची, दिनांक– 01.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–208 दिनांक–24.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

47

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में श्री लम्बोदर महतो , स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02/03/2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत्त- 15 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के द्वारा महिला अभियंत्रण महाविद्यालय, रामगढ़ जिले के गोला में बन कर तैयार है जिसका उद्घाटन भी वर्ष 2019 में किया जा चुका है परंतु नामांकन प्रक्रिया अब तक प्रारंभ नहीं हो सकी है;	स्वीकारात्मक
02	क्या यह बात सही है कि इस महाविद्यालय के निर्माण से राज्य के महिलाओं और छात्राओं में एक उम्मीद है कि भविष्य में महिलाएँ भी अभियंत्रण की पढ़ाई कर सकेगी और राज्य निर्माण में अपना योगदान दे सकेगी, परंतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसमें सामान्य अभियंत्रण महाविद्यालय की तरह ही संचालित किया जाएगा जिसके कारण राज्य की आधी आबादी में घोर निराशा है;	1. आंशिक स्वीकारात्मक 2. छात्र एवं छात्राओं को समान अवसर प्रदान करते हुये मेरिट के आधार पर इस अभियंत्रण महाविद्यालय में नामांकन लिया जाएगा।
03	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय को पूर्व की भाँति महिला अभियंत्रण महाविद्यालय के रूप में ही आगामी सत्र से संचालित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 03/02/2021 के मद संख्या 27 में हुये निर्णय के आलोक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश संख्या 253 दिनांक 24/02/2021 द्वारा महिला महाविद्यालय, गोला (रामगढ़) के स्थान पर अभियंत्रण महाविद्यालय, गोला (रामगढ़) किया गया है। इस महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं को समान अवसर प्रदान करते हुये नामांकन लिया जाएगा एवं शैक्षणिक सत्र 2021-22 से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु AICTE से मान्यता प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए तात्कालिक व्यवस्था के तहत प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सौपा गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-**13/2021**/HTESD/ 282 /राँची, दिनांक- 02/03/**2021**

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके **ज्ञाप संख्या प्र0 356** दिनांक **25/02/2021** के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

(48)

श्रीमती अर्पणा सेन गुप्ता, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 02.03.2021 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या टन–13 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	**उत्तर दाता**
श्रीमती अर्पणा सेन गुप्ता, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के निरसा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम पोद्दारडीह स्थित राज ग्राउंड स्टेडियम का भवन व दर्शक गैलरी जीर्ण–शीर्ण हो गया है तथा स्टेडियम में मंच का निर्माण नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि यहाँ अक्सर ही युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन होते रहता है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्टेडियम के जीर्ण–शीर्ण होने के कारण आयोजकों, प्रतियोगियों व दर्शकों को काफी तकलीफ झेलना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज ग्राउण्ड स्टेडियम मे मंच का निर्माण, स्टेडियम का जीर्णोद्धार तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	जिला से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा बजट उपलब्ध होने पर नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–23/2021 424/ राँची, दिनांक 01.03.2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–350/वि०स०, दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–04 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिलान्तर्गत पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद मंडल के सिन्दरी मार्शलिंग यार्ड साइडिंग से प्रतिदिन सैकड़ों हाईवा क्लिंकर लोड होकर ए0सी0सी0 सीमेंट प्लांट, सिन्दरी तथा कोयला साइडिंग से कोयले का उठाव कर एम0पी0एल0 प्लांट मैथन पहुँचाया जाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। सिन्दरी मार्शलिंग यार्ड साइडिंग से क्लिंकर लोडिंग हाइवा ए0सी0सी0 प्लांट, सिन्दरी को नहीं जाता है। ए0सी0सी0 प्लांट, सिन्दरी का रेलवे साइडिंग उनके इकाई परिसर के अन्दर है। सिन्दरी मार्शलिंग यार्ड में लोडेड रैक का शंटिंग का कार्य किया जाता है। डिमांड के आधार पर विगत छः महीने में मात्र 17 रैक कोयले का डिस्पैच मेसर्स एम0पी0एल0 को किया गया है।
2– क्या यह बात सही है, कि सिन्दरी मार्शलिंग यार्ड के साइडिंग से प्रतिदिन रैक लोडिंग के कारण आस–पास का वातावरण काफी प्रदूषित रहता है, जिससे वहाँ के ग्रामीण प्रदूषित वातावरण में रहने को मजबूर है ;	अस्वीकारात्मक है। यह मार्शलिंग यार्ड से संलग्न गुड शेड में केवल शंटिंग का कार्य किया जाता है। विगत छः माह में मात्र 17 रैक का डिस्पैच किया गया है, जो कि एम0पी0एल0 के डिमांड के आधार पर किया गया था।
3– क्या यह बात सही है कि रेलवे को मार्शलिंग यार्ड, सिन्दरी के लिये झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किये जाने के पश्चात् भी धनबाद रेल मंडल द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन करते हुए वर्ष 2019 से मार्शलिंग यार्ड रेलवे साइडिंग से कोयला तथा अन्य प्रदूषण जनित सामग्रियों को उठाव कराया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक है। यह एक मार्शलिंग यार्ड है जिसमें केवल लोडेड रैक्स का शंटिंग का कार्य किया जाता है। पिछले छः माह में एम0पी0एल0 के डिमांड के आधार पर केवल 17 रैक कोल का डिस्पैच किया गया है।
4– क्या यह बात सही है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार खण्ड–1 में वर्णित रैक लोडिंग प्वाइंट पर रेलवे द्वारा जल छिड़काव हेतु स्प्रींकलर का अधिष्ठापन, सड़क निर्माण, चाहरदीवारी का निर्माण, वृक्षारोपण सहित अन्य मापदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। इकाई द्वारा मैन्युअल वाटर स्प्रींक्लिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही अन्य मानको यथा– (क) आंशिक रूप से चहारदीवारी है। (ख) सड़क निर्माण भी आंशिक रूप से किया गया है। (ग) खाली स्थानों पर कुछ वृक्षारोपण किया गया है।

5– क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धनबाद के पदाधिकारी और रेलवे के अधिकृत संवेदक के मिली भगत से रैक लोडिंग प्वाइंट का प्रदूषण संबंधित अन्मापति प्रमाण पत्र के ना होने के बाद भी रेलवे साइडिंग पर कोयला, क्लिंकर और अन्य प्रदूषण जनित सामग्रियों का उठाव निरंतर जारी है ;	अस्वीकारात्मक है। पर्षद द्वारा पत्रांक–1587, दिनांक–31.12.2020 एवं पत्रांक–184 दिनांक–04.02.2021 द्वारा इकाई को कारण पृच्छा की जा चुकी है। इकाई द्वारा प्राप्त प्रत्युत्तर से स्पष्ट होता है कि विगत छः माह में केवल 17 रैक का लोडिंग/अनलोडिंग मेसर्स एम0पी0एल0 के डिमांड के आधार पर किया गया है। बाकी समय यहाँ केवल लोडेड रैक का शंटिंग का कार्य किया जाता है।
6– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित रेलवे साईडिंग से कोयला तथा अन्य प्रदूषण जनित सामग्रियों के उठाव को तत्काल रोक लगाते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी पदाधिकारियों व संवेदक के खिलाफ उच्चस्तरीय जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ज्ञातव्य हो कि पूर्व में इकाई द्वारा (Combined CTE & CTO हेतु आवेदन संख्या–3613333 दिनांक–16.01.2019) आवेदन किया गया था, जिसमें वांछित कागजात जमा नहीं किए जाने के कारण उक्त आवेदन रद्द किया गया था। पुनः इकाई को पर्षद के पत्रांक–184 दिनांक–04.02.2021 द्वारा कारण पृच्छा किये जाने के उपरांत इकाई द्वारा उनके आवेदन संख्या–9980402 द्वारा Fresh आवेदन दिया गया था, जो कि Process में है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–08/2021– 723 व0प0, राँची, दिनांक– 28·02·2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–58 दिनांक–17.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28-2-21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

461
01/03/2021

श्री केदार हजरा, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–21 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के ग्राम पंचायत रेम्बा में कन्या मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित विद्यालय की खास कर छात्राओं को उच्च विद्यालय की शिक्षा के लिए करीब 10 कि0मी0 दूरी तय करनी पड़ती है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कन्या मध्य विद्यालय, रेम्बा से लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, घिरोसिंगा, जमुआ अवस्थित है, जिसमें छात्र–छात्रायें अध्ययन करती हैं।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित छात्राओं को अधिक दूरी रहने के कारण उच्च विद्यालय की शिक्षा में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक है। कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कन्या मध्य विद्यालय, रेम्बा को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं हो क्यों ?	विभागीय अधिसूचना संख्या–2748 दिनांक 18.11.2018 द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार प्रत्येक 05 कि0मी0 की परिधि तथा 5000 की आबादी पर एक माध्यमिक विद्यालय का उत्क्रमण किया जाना है। चूँकि प्रश्नांकित विद्यालय से 1.5 कि0मी0 की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, घिरोसिंगा, जमुआ अवस्थित है, अतएव प्रश्नांकित विद्यालय को वर्त्तमान में उत्क्रमित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–17/2021 461 राँची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

(52)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–07

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि साहेबगंज एवं पाकुड़ जिलों में अधिक संख्या में पत्थर खादान एवं क्रशर है, साथ ही उक्त दोनों जिलों में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है;	साहेबगंज जिले में 201 एवं पाकुड़ जिले में 149 खनन पटट्ा है। जिला स्तर पर अवैध खनन को रोकने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला माइनिंग टास्क फोर्स गठित है। जिसके द्वारा समय–समय पर कार्रवाई की जाती है।
2-	क्या यह बात सही है, कि वैध एवं अवैध लीज के कारण खादानों से सटे गॉव, स्कूल एवं रेलवे साईडिंग क्रशर के धूलकण/प्रदूषण से ग्रामीणों एवं स्कूल के छात्र–छात्राओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही क्रशर के डस्ट के कारण माल–मवेशी का चरना भी मुश्किल हो गया है, ये सभी प्रदूषण के शिकार हो रहे है एवं जीना मुश्किल हो गया है;	अस्वीकारात्मक है। माइनिंग खादान एवं क्रशर EC एवं CTO के अनुसार कार्यान्वयन की जा रही है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रदूषण नियंत्रण के ठोस उपाय एवं नियम संगत कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–25/2021 571 /एम0, राँची, दिनांक– 01.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–346 दिनांक–25.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/2021

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

(53)

श्री अमित कुमार यादव, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-08

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखंड एवं संकुल संसाधन केन्द्रों में 15 वर्ष पूर्व प्रखंड संसाधन सेवी एवं संकुल संसाधन सेवी की नियुक्ति की गयी थी, जिनकी संख्या 2500 है;	अस्वीकारात्मक। इनका चयन दैनिक मानदेय पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2005–06 में संबंधित जिलों द्वारा किया गया था। काल अवधि में इन्हें नियत मासिक मानदेय दिया जा रहा है। इनका चयन कार्यक्रम विशेष के अंतर्गत पूर्णतः अस्थायी रूप से की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि इनके स्थायीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई नियमावली नहीं बनाई गई है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में इनके स्थायीकरण हेतु नियमावली बनाकर शिक्षा विभाग के वर्ग 3 के रिक्त पदों पर सेवा समायोजित करते हुए नियुक्ति करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना का संचालन किया जाता है। उक्त योजना के अंतर्गत प्रखंड साधनसेवी/संकुल साधनसेवी की सेवा प्रत्येक प्रखंड एवं संकुल स्तर के विद्यालयों में शैक्षणिक अनुसमर्थन हेतु कार्यक्रम विशेष अंतर्गत समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह नियत मानदेय की स्वीकृति पर सेवा ली जा रही है। यह पद पूर्णतः अस्थायी है। कार्यक्रम में कोई स्थायी पद नहीं है। ऐसी स्थिति में इनका समायोजन राज्य सरकार के किसी भी पद में नहीं किया जा सकता है।

25/2/2021
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–03/2020 342 /राँची, दिनांक 28.02.2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 114, दिनांक 22.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/2021
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्रीमती सीता सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–08 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में फिल्म एवं टेलीविजन स्टूडियो नहीं होने के कारण यहाँ फिल्म निर्माण की पर्याप्त सुविधा नही हो पा रही है और यहाँ के कलाकारों एवं अन्य तकनीशियनों को रोजगार के अवसर नही मिल पा रही है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। फिल्म निर्माताओं से प्राप्त आवेदनों पर समीक्षोपरांत सरकार द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति दी जाती है। इससे रोजगार का भी सृजन होता है।
2	क्या यह बात सही है कि रांची स्थित खेलगांव परिसर में स्टूडियो खोले जाने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं आसपास शूटिंग के लिए लोकेशन की सुविधा उपलब्ध है।	अस्वीकारात्मक। खेलगांव परिसर का निर्माण झारखण्ड में खेलों के विकास के लिए किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रांची स्थित खेलगांव में फिल्म सिटी बनाने का इरादा रखती है, हां तो कब तक नही तो क्यों?	कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था०(वि०स०)06/02/2021–सू०ज०स० 34 रांची दिनांक 27.02.21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या 129, दिनांक 22.02.2021 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2021
सरकार के संयुक्त सचिव

(55)

श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–14 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के पलामू जिले के छत्तरपुर प्रखण्ड में देवगन धाम (राम जानकी मन्दिर) जो 250 वर्ष पूर्व निर्मित एवं चेगौना धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त है;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक ये स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित धामों में प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन होता है तथा लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मंदिर धामों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित मूलभूत सुविधाओं का न होने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	3.	आंशिक स्वीकारात्मक चौगोना धाम में विवाह मण्डप, पेयजल सुविधा व शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित दोनों धामों मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा देते हुए पर्यटन के रूप में विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	पलामू जिलान्तर्गत पलामू किला, भीम चूल्हा तथा मोहम्मदगंज पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है व इसे Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति पलामू को रू० 3.50 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे पलामू जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। प्रश्नाधीन स्थल के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ अतिरिक्त आवश्यक सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/22/2021 415 /राँची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–349/वि०स०, दिनांक–25/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

विनोद

57

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में डॉक्टर इरफान अंसारी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक - 02/03/2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत्त- 10 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला में एक भी इंजिनियरिंग कॉलेज नहीं है फलस्वरूप बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है।	स्वीकारात्मक
02	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जामताड़ा जिला में एक इंजिनियरिंग कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में विभागान्तर्गत सरकारी क्षेत्र में एक (बी० आई० टी० सिंदरी), PPP मोड में 03, निजी क्षेत्र में 10 तथा विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा 01 अर्थात कुल 15 अभियंत्रण महाविद्यालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा चार नए अभियंत्रण महाविद्यालय यथा:- गोला (रामगढ), पलामू, कोडरमा तथा जमशेदपुर में स्थापित किया गया है, जिसके संचालन तथा AICTE से मान्यता प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जामताड़ा जिला में स्थापित नया पॉलिटेकनिक संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से पठन- पाठन कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाई की जा रही है। उक्त संस्थानों के सीटों पर झारखण्ड राज्य के किसी भी जिले के विद्यार्थी मेधा के आधार पर नामांकन लेते हैं। वर्तमान में राज्य सरकार का अन्य नया अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने का निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-**12/2021**/HTESD/ 278 /राँची, दिनांक 01/03/**2021**

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके **ज्ञाप संख्या प्र0 355** दिनांक **25/02/2021** के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

(58)

श्री कमलेश कुमार सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स0–06

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिलान्तर्गत 25 बालू घाटों में 23 बालू घाट बंदोबस्त नहीं होने के कारण फरवरी, 2019 से वहाँ बालू के उठाव पर प्रतिबंध है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बालू घाट का संचालन sustainable sand policy के तहत की जा रही है, जिसके अनुसार EC & CTO प्राप्त करना आवश्यक है, जो प्रक्रियाधीन है।
2-	क्या यह बात सही है कि मेदनीनगर प्रखण्ड के दो बालू घाट सिंगरा व धांगरडीह तथा लेस्लीगंज प्रखण्ड के जोलंगा से बालू का उठाव किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक है।
3-	क्या यह बात सही है, कि सम्पूर्ण पलामू जिले में हो रहे विकास योजनाओं के कार्यो अथवा निजी निर्माण की कार्यो में बालू की मांग की पूर्ति खण्ड–2 में विर्णत बालू घाटों से संभव नहीं है, जिसके कारण बालू की कालाबाजारी होती है, जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान तो होता ही है, साथ ही आमजनों को भी बालू के लिए 5 से 6 गुणा उँची कीमत चुकानी पड़ती है;	पलामू जिलान्तर्गत वर्तमान में कुल 03 बालूघाट एवं 14 बालू खनिज के स्टॉकयार्ड संचालित है। Category-I के चिन्हित 44 बालूघाट से बालु निःशुल्क रूप से पंचायत द्वारा गैर वाणिज्यक कार्य हेतु दी जाती है। सम्पूर्ण पलामू जिला में उक्त बालूघाट एवं स्टॉकयार्ड से बालू खनिज की आपूर्ति की जाती है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रतिबंधित बालू घाटों का जब तक बंदोबस्त नहीं हो जाता है, तक तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बालू उठाव कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–22/2021 568 /एम0, राँची, दिनांक– 01.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–207 दिनांक–24.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021

सरकार के उप सचिव

59

454
01/03/2021

श्री सुदेश कुमार महतो, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–17
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना–2748 दिनांक 18/11/2008 द्वारा प्रत्येक 07–08 कि0मी0 की परिधि तक 10,000 की आबादी पर +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि रांची जिले के अनगड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत 5 पंचायत (जोन्हा, बरवादाग, सुरसू, गुड़ीडीह, टाटी) की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 27,636 है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में 8 कि0मी0 की परिधि के अंदर +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रहित में उक्त अधिसूचना का पालन करते हुए जोन्हा में +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं हो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–1471 दिनांक 15.09.2020 द्वारा राज्य के सभी जिलों को आवश्यकतानुसार +2 विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन कर +2 विद्यालय में उत्क्रमण हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया है। कई जिलों से अनुशंसित सूची उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु कतिपय जिले से सूची अप्राप्त है। प्राप्त सूची की विभाग के स्तर पर समीक्षा की जा रही है एवं शेष अप्राप्त जिले से भी सूची की मांग की गयी है।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–16/2021 454 रांची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

(60)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-31

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करवाने, विद्यालयों को शत-प्रतिशत संचालन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने हेतु मानव संसाधन विभाग के अर्द्धसरकारी पत्रांक 2205 एवं 2206 दिनांक 03.01.2005 के द्वारा बी०आर०पी० (प्रखण्ड साधन सेवी) एवं सी०आर०पी० (संकुल साधन सेवी) की नियुक्ति की गयी थी,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित पत्रांक 2205 एवं 2206 दिनांक 03.01.2005 के द्वारा बी.आर.पी. (प्रखण्ड साधन सेवी) एवं सी.आर.पी. (संकुल साधन सेवी) का चयन सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संबंधित जिले के द्वारा दैनिक मानदेय पर किया गया था। समग्र शिक्षा वर्ष 2018–19 से संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत 15 वर्षों से सेवा देने के बावजूद आज तक बी०आर०पी० एवं सी०आर०पी० के सुरक्षित भविष्य हेतु सेवा शर्त नियमावली का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे राज्य में लगभग 2500 बी०आर०पी० एवं सी०आर०पी० अपने भविष्य के लेकर चिन्तित हैं,	आंशिक स्वीकारात्मक। बी.आर.पी. एवं सी.आर.पी. का चयन केन्द्र प्रायोजित योजना सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूर्णतः अस्थायी रूप से की गयी थी। वर्तमान में वे अस्थायी रूप से नियत मानदेय पर संविदा पर कार्यक्रम विशेष समग्र शिक्षा के तहत् कार्यरत है। चूंकि इनका चयन संविदा आधारित है तथा चयन कार्यक्रम विशेष के तहत् किया गया है, ऐसी स्थिति में अन्य सरकारी कर्मियों की भांति सेवा शर्त नियमावली का निर्माण नहीं किया गया है। इनकी सेवाएँ संविदा में अंकित शर्तों के अधीन ली जा रही है। परन्तु समय–समय पर इनके मानदेय आदि में वृद्धि की जाती रही है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े तृतीय वर्ग के पदों में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद में कार्यरत बी०आर०पी० एवं सी०आर०पी० के योग्यता एवं विगत 15 वर्षों के अनुभव के आधार पर सीधे समायोजित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकार के समक्ष उपरोक्त खण्डों में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर शिक्षा विभाग के तृतीय वर्ग के पदों पर बी.आर.पी. एवं सी.आर.पी. के योग्यता के अनुरूप सीधे समायोजन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनु सिंह
28/2/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–15/2021...348.../राँची, दिनांक ....28/02/...2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 168, दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु सिंह
28/2/21
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(61)

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में श्री किशुन कुमार दास, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02/03/2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत्त- 05 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के टंडवा प्रखंड में पिपरवार, मगध, अम्रपाली सबसे बड़ी कोयला परियोजना एवं NTPC परियोजना स्थापित है।	इस विभाग से संबंधित नहीं है।
02	क्या यह बात सही है कि टंडवा प्रखंड में एक भी ITI एवं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है?	टंडवा प्रखंड में अभियंत्रण कॉलेज नहीं है। आई0टी0आई संस्थान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से संबंधित है।
03	क्या यह बात सही है कि ITI एवं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं रहने के कारण यहाँ के निवासियों एवं उसके आस-पास के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ?	अस्वीकारात्मक इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन राष्ट्रीय स्तर पर **National Testing Agency** द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के रैंक के आधार पर तैयार राज्य के अभ्यार्थियों के मेधा सूची अनुसार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (**JCECEB**) के द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से होता है। अभ्यर्थी के शाखा/संस्थान के **Choice** और उसके मेधा क्रमांक अनुसार काउंसिलिंग के उपरांत आवंटित किसी भी संस्थान में नामांकन होता है। अतः राज्य में अवस्थित किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में राज्य के किसी भी क्षेत्र के अभ्यर्थी उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार अपना नामांकन लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
04	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टंडवा प्रखंड में ITI एवं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	टंडवा प्रखण्ड में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का कोई विचार नहीं है। राज्य में विभागान्तर्गत अभी कुल 15 इंजीनियरिंग कॉलेज (01 सरकारी, 01 विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संचालित, 03 पी0पी0पी0 मोड तथा 10 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज) संचालित हैं जिसमें प्रतिवर्ष 4645 सीट नामांकन के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त राज्य में अवस्थित IIT(ISM) धनबाद, NIFFT राँची, BIT मेसरा, BIT मेसरा बिस्तार पटल (देवघर), IIIT राँची, NIT जमशेदपुर जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। इसके अलावे राज्य के कई निजी विश्वविद्यालय में भी डिग्री स्तरीय इंजीनियरिंग कोर्स में नामांकन की सुविधा है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरण्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-**07/2021**/HTESD/ 283 /राँची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके **ज्ञाप संख्या प्र0 121** दिनांक **22/02/2021** के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1.3.21
सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

62

श्री नारायण दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–22 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कही जानेवाली देवघर जिला मुख्यालय स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम क्षेत्र तथा इसके आसपास क्षेत्र पर्यटक व श्रद्धालुओं का एक महत्वपूर्ण स्थल है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्र अन्तर्गत पुनासी डैम और दिघरिया पहाड़, जो हजारों एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, उस क्षेत्र को पर्यटन दृष्टिकोण से विकसित नहीं किया जा सका है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक पुनासी जीरो माईल में विभाग द्वारा बहुउद्देशीय भवन–सह– अतिथिशाला निर्मित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देवघर के धार्मिक, पौराणिक व स्मणीय स्थलों का सौन्दर्यीकरण कर पर्यटकों व श्रद्धालुओं को सुविधा दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	देवघर के धार्मिक, पौराणिक व रमणीय स्थलों का सौन्दर्यीकरण व पर्यटकों की सुविधा हेतु देवघर व आस–पास के प्रमुख स्थलों पर विकास कार्य पहले भी कराया गया है तथा वर्तमान में भी भारत सरकार के PRASAD योजनान्तर्गत विकासात्मक कार्य कराया जा रहा है। PRASAD योजनान्तर्गत बैद्यनाथ धाम स्थित शिवगंगा, जलसार सौन्दर्यीकरण व बैद्यनाथ मंदिर जाने वाली गलियों का सौन्दर्यीकरण व वहाँ पर्यटक सुविधा विकास, कौवरिया पथ में धार्मिक कॉन्वेन्शन हॉल व अन्य पर्यटक सुविधा विकास, देवघर जाने वाले मुख्य पथों पर स्वागत द्वार का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विभाग द्वारा जिला पर्यटन संवर्धन समिति देवघर के अध्यक्ष (उपायुक्त) को विगत चार वित्तीय वर्षों में उपलब्ध कराये निधि व विभाग द्वारा जिला को उपलब्ध कराये गये अन्य निधि से बुढ़ई मंदिर, पथरौल काली मंदिर, शिल्पग्राम, जलवे पहाड़, बाबा नायक धाम, हरलाजोड़ी मंदिर, पुनासी, त्रिकुट पहाड़, अजय बराज सिकटिया, तपोवन, नंदन पहाड़, नावाधाम, खोलपहाड़ी, तुलरा पहाड़ी मंदिर, दुखिया बाबा मंदिर, करौं स्थित कर्णेश्वर मंदिर में पर्यटकों हेतु विविध सुविधाओं का निर्माण व सौन्दर्यीकरण कराया गया है। त्रिकुट में रोपवे भी निर्मित है। उक्त के अतिरिक्त बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कतारबद्ध जलार्पण की सुविधा युक्त बनाने हेतु क्यू–कॉम्पलेक्स का निर्माण भी कराया गया है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति के अध्यक्ष (उपायुक्त) को जिला पर्यटन संवर्धन समिति को अनुदान मद से प्रतिवर्ष " Untied (अनाबद्ध) निधि आवंटित की जाती है। आगामी वित्तीय वर्षों में जिला को उपलब्ध Untied (अनाबद्ध) निधि से अन्य स्थलों के साथ पुनासी जलाशय व दिघरिया पहाड़ का सौन्दर्यीकरण कार्य जिला पर्यटन संवर्धन समिति को उपलब्ध निधि से समिति के अनुशंसा होने पर हो सकता है। इस प्रकार देवघर के आस–पास के पर्यटक स्थलों का समुचित विकास व सौन्दर्यीकरण किया गया है तथा कतिपय कार्य कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/15/2021.......423.........../राँची, दिनांक 01-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–182/वि०स०, दिनांक–24/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 1/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

(64)

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स० द्वारा दिनांक 02/03/2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत्त- 02 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सदर प्रखंड के सिलवार पंचायत में राजकीय पॉलिटेकनिक महाविद्यालय बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक
02	क्या यह बात सही है कि वर्णित महाविद्यालय अब तक चालू नहीं हुई है, जिससे उक्त महाविद्यालय के बनने का लाभ स्थानीय छात्रों को नहीं मिल पा रही है तथा उक्त महाविद्यालय जर्जर हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक विभागान्तर्गत सभी कुल 41 पॉलिटेकनिक में नामांकन झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) के द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होता है। अभ्यर्थी के शाखा/संस्थान के choice और उसके मेधा क्रमांक अनुसार काउंसलिंग के उपरांत आवंटित राज्य अंतर्गत किसी भी संस्थान में नामांकन होता है। नामांकन प्रक्रिया में संस्थानों के आस-पास के स्थानीय अभ्यर्थी के लिए अलग से किसी प्रकार की प्राथमिकता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः राज्य में अवस्थित किसी भी पॉलिटेकनिक में राज्य के किसी भी क्षेत्र का अभ्यर्थी अपना नामांकन ले कर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
03	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खंड -01 में वर्णित महाविद्यालय में पठन-पाठन कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	किसी भी तकनीकी शिक्षण संस्थान में कोर्स संचालन और नामांकन प्रारंभ करने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करना होता है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राजकीय पॉलिटेकनिक, हजारीबाग में पठन - पाठन प्रारंभ करने हेतु पद सृजन के साथ-साथ AICTE से मान्यता प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-06/2021/HTESD/**281** /राँची, दिनांक- **01/03/2021**

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके **ज्ञापांक 118** दिनांक **22/02/2021** के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

1.3.21

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

65

457
01/03/2021

श्री केदार हजरा, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–उत / स–13
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मिर्जागंज को अब तक +2 में उत्क्रमित नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित विद्यालय की खासकर छात्राओं को +2 की पढ़ाई के लिए अन्य महाविद्यालयों में जाना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत लंगटा बाबा प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, मिर्जागंज, गिरिडीह से 2.5 कि0मी0 की दूरी पर स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त लंगटा बाबा इंटर कॉलेज संचालित है, जिसमें आस–पास के माध्यमिक विद्यालयों के साथ–साथ प्रश्नाधीन विद्यालय के छात्र–छात्राओं के लिये भी पठन–पाठन की व्यवस्था उपलब्ध है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में निहित विद्यालय को +2 में उत्क्रमित हो जाने से स्थानीय छात्राओं को किसी अन्य विद्यालय में नहीं जाना पड़ेगा;	उपर्युक्त कंडिका–02 में उत्तर सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, मिर्जागंज को +2 में उत्क्रमित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं हो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–1471 दिनांक 15.09.2020 द्वारा राज्य के सभी जिलों को आवश्यकतानुसार +2 विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन कर +2 विद्यालय में उत्क्रमण हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया है। कई जिलों से अनुशंसित सूची उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु कतिपय जिले से सूची अप्राप्त है। प्राप्त सूची की विभाग के स्तर पर समीक्षा की जा रही है एवं शेष अप्राप्त जिले से भी सूची की मांग की गयी है।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–36 / 2021 457 रांची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

(66)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–17 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत केरेडारी प्रखण्ड के ग्राम–पहरा में घाघरा डैम, ग्राम–केरेडारी में कोतिझरना डैम, ग्राम–पतराकला में छत्तिसी माता स्थान, ग्राम–कण्डाबेर में माता स्थान एवं बड़कागाँव प्रखण्ड के ग्राम–इसको में सूर्य मंदिर गुफा, ग्राम–महुदी में बुढवा महादेव मंदिर, प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
2.	क्या यह बात सही है कि क्या यह बात सही है कि आसपास के पहाड़ अपने आप में सुन्दरता लिए हुए है और यहाँ दूर–दूर से लोग नौका विहार एवं प्राकृतिक दृश्य का आनन्द लेने सालों भर आते रहते है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
3.	क्या यह बात सही है कि यहाँ कोई भी सरकार सुविधा नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	3.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार घाघरा डैम, कोतिझरना डैम, छत्तिसी माता स्थान, कण्डाबेर माता स्थान, सूर्य मंदिर गुफा को पर्यटन स्थल का दर्जा देकर विकास कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	4.	हजारीबाग जिलान्तर्गत हजारीबाग नेशलन पार्क, सूरजकुण्ड बरकट्ठा, मेगालिथ साईट, बड़कागाँव, इस्को गुफाए, कनहरी हिल, पदमा का किला पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है व इसे Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति हजारीबाग को रू० 4 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे हजारीबाग जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। प्रश्नाधीन स्थलों के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ अतिरिक्त आवश्यक सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/21/2021 414 /राँची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–348/वि०स०, दिनांक–25/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

(67)

श्री दुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–23 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अन्तर्गत बाघमारा में श्री रामराज मंदिर जो चिटाही धाम के नाम से विख्यात है तथा यहाँ राज्य भर से आम लोगों का आवागमन होता है;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक सामान्यतः आस–पास के लोग पूजा करने आते है।
2.	क्या यह बात सही है कि यहाँ पहुँचने वाले लोगों को सम्पर्क पथ एवं अन्य सुविधा की उचित व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि NH पर बसे इस चिटाही धाम को विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल बनने की पूरी संभावना है और यदि यहाँ पर्यटकों की सुविधा/संसाधन उपलब्ध कराई जाय तो निश्चित रूप से आवागमन के साथ–साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे;		आंशिक स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चिटाही धाम को पर्यटक स्थल घोषित करते हुए इसे विकसित करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	धनबाद जिलान्तर्गत मैथन डैम, तोपचांची लेक, पंचेत डैम तथा मटिण्डा जलप्रपात पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है व इसे Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति धनबाद को रू० 3.38 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे धनबाद जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। प्रश्नाधीन स्थल के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में वहाँ अतिरिक्त आवश्यक सुविधा विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/17/2021 H 22 /राँची, दिनांक 01-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–187/वि०स०, दिनांक–24/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

68

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–11 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष वन रोपण एवं संरक्षण के नाम पर राशि का आवंटन विभाग को उपलब्ध कराती है ;	स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार के द्वारा वन रोपन किया जा रहा है, उसका समुचित देखभाल नहीं होने के कारण वन रोपन का 80 प्रतिशत पौधे या तो सूख जा रहे है या जंगली आग से जल जा रहे है या पशुओं द्वारा नष्ट कर दिए जा रहे है ;	अस्वीकारात्मक।
3– क्या यह बात सही है, कि जंगल के रोपन एवं रख–रखाव के लिए पदस्थापित वनरक्षी की राज्य में कमी हो गई है, जिसके कारण भी वन नष्ट हो रहे है ;	झारखण्ड में वनरक्षियों की कमी के बावजूद भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान 2019 के प्रतिवेदन अनुसार झारखण्ड राज्य में 2001 से 2019 तक 162500 हे0 वनावरण में वृद्धि हुई है तथा 2017 से 2019 तक 5800 हे0 वनावरण की वृद्धि हुई है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वनों के समुचित देखभाल हेतु स्थानीय युवको को वनरक्षी के पद पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में कुल–3883 वनरक्षियों के स्वीकृत पद के विरूद्ध 2006 वनरक्षी कार्यरत हैं। वनरक्षियों की नियुक्ति हेतु झारखण्ड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली–2014 अधिसूचित है। इसके तहत् 1994 वनरक्षियों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसी के आधार पर वनरक्षी नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–15/2021– 725 व0प0, राँची, दिनांक– 28·02·2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–218 दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28-2-21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

F/VIDHAN SABHA-2021 (Mahesh)

(69)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय सदविधस० द्वारा दिनांक–02.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–01

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत जयनगर प्रखण्ड में हीरोडीह ग्राम स्थित गेडे (पाईप) फैक्ट्री जो 1976 से बंद पड़ा है जिस कारण इसमें कार्यरत कर्मचारी/मजदूर घोर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं;	स्वीकारात्मक। वर्ष 1960 में धार्मिक नेता दलाईलामा द्वारा बिहार सरकार द्वारा अर्जित 345 एकड़ भूमि पर गेंडे आयरण एण्ड स्टील लिमिटेड, हीरोडीह, कोडरमा का निर्माण किया गया था। उक्त कारखाने में कास्ट आयरण स्पैन पाईप का उत्पादन होता था, जिसमें लगभग 450 मजदूर कार्यरत थे, इसके अतिरिक्त ठेका मजदूर भी थे। वर्ष 1976 में कतिपय कारणों से कारखाने का उत्पादन कार्य बंद कर दिया गया। वर्ष 1982 में बिहार सरकार का एक उपक्रम बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) पटना द्वारा क्रय कर मगध स्पन पाईप लिमिटेड हीरोडीह, कोडरमा की स्थापना करते हुए कारखाने को चालू किया गया जो वर्ष 1990 में कतिपय कारणों से बंद हो गयी। वर्ष 2006 में मगध स्पन पाईप लिमिटेड हीरोडीह/बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) पटना से सर्वश्री जुपिटर स्पन पाईप एण्ड कास्टिंग प्रा० लि० कलकत्ता द्वारा लिज पर प्राप्त कर कोल वाशरी एवं कोल बेनीफिकेशन प्लांट स्थापित कर चालू किया गया जो वर्ष 2014 में बंद हो गया। इकाई पर ऋण भार बढ़ने के कारण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिनांक–04.04.2019 को इकाई को सील कर दिया गया। इकाई को पुनः चालू करने/प्रोत्साहन हेतु इकाई द्वारा कोई प्रस्ताव विभाग को समर्पित नहीं किया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त फैक्ट्री पुनः चालू होने पर उत्कृष्ट स्तर पाईप का निर्माण होगा और मजदूरों एवं आस–पास के इलाके व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त बंद पड़े फैक्ट्री को पुनः चालू करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy (JIIPP)-2016 के अन्तर्गत इकाई से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy (JIIPP)-2016 की कंडिका–6.15.1 में Micro, Samall and Medium Enterprises (MSME) Sector के रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के Revival के संबंध में निम्नवत प्रावधान है–" For the revival of willing and viable MSME units, the State Government proposes to form a State Level Apex Body with Director of Industries as its head to consider such revival efforts. The State Level Apex body for rehabilitation of sick industry would recommend required restructuring of management, funding etc. for approval of Government under existing provisions. उसी प्रकार रूग्ण Large, Mega एवं Ultra Mega औद्योगिक इकाईयों के Revival के संबंध में JIIPP-2016 की कंडिका–6.15.2 में निम्नवत प्रावधान किये गये है– "A committee with Principal Secretary/ Secretary, Industries as its head will be constituted by the State Government to evolve suitable measures for revival of viable sick industrial units including State Public Sector Undertakings in large, Mega and Ultra mega industries.

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–02/2021 211 रांची, दिनांक– 27/02/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञापांक–134 दिनांक–22.02.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.02.2021

सरकार के अवर सचिव

(70)

श्री कोचे मुण्डा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-02.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-स०-07 से संबन्धित उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खूंटी जिला के कर्रा प्रखण्ड के अन्तर्गत गोविन्दपुर, जरिया क्षेत्र के लगभग 40 कि०मी० के अन्दर कोई भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु खूँटी एवं राँची जाना पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यातायात सुगम नहीं होने से पैसा एवं समय की बर्बादी होती है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में महाविद्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ,झारखण्ड के का०ज्ञा० ज्ञापांक सं० 1956 दिनांक 07.09.2016 द्वारा विधानसभा क्षेत्र जहाँ पूर्व से डिग्री महाविद्यालय नहीं है वहां डिग्री महाविद्यालय की स्थापना एवं निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। वर्तमान में प्रखण्डवार डिग्री महाविद्यालय खोलने का राज्य सरकार का निर्णय नहीं है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-18/2021HTESD 287 / रांची, दिनांक- 01/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-113 दिनांक-22.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पत्र संख्या-618 दिनांक-26.02.2021 के आलोक में प्रश्नोतर की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/03/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(71)

श्री मंगल कालिन्दी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-02.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-16 से संबन्धित उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम के पटमदा एवं बोड़ाम प्रखण्ड में एक भी बी०एड०' बी०पी०एड० एवं डी०एल०एड० कॉलेज नहीं है, जिस कारण छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है एवं प्रखण्ड मुख्यालय से 40 कि०मी० दूर है, जिस कारण यहाँ के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा संबंधी डिग्री हेतु 40 कि०मी० शहर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः पटमदा में सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय संचालित है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार ट्राईबल क्षेत्र है, फिर भी उच्च शिक्षा हेतु कार्रवाई नगण्य है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्र हित में उक्त प्रखण्डों में बी०एड०, बी०पी०एड० एवं डी०एल०एड० कॉलेज स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में सरकारी बी०एड० कॉलेज स्थापित करने का राज्य सरकार का निर्णय नहीं है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-15/2021HTESD 274 / रांची, दिनांक- 01/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-188 दिनांक-24.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव,
उच्च शिक्षा

72

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री किशुन कुमार दास, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-15

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार की अधिसूचना संख्या-1348, दिनांक 13.02.2015 द्वारा संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों/कस्तुरबा गाँधी विद्यालय के शिक्षकों, जिनकी सेवा कम से कम दस वर्ष हो चुकी हो, को नियमित किये जाने का वादा किया जा चुका है, लेकिन आज तक ऐसे कर्मियों/शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया है जबकि यह सम्पूर्ण अर्हतायें पूरी करते है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सरकार के अधिसूचना संख्या–1348, दिनांक 13.02.2015 सरकार में सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितिकरण से संबंधित है। कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय केन्द्र प्रायोजित योजना सर्व शिक्षा अभियान सम्प्रति समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित विद्यालय है। ऐसे सभी कर्मियों को मात्र नियत मानदेय उपलब्ध कराने की स्वीकृति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त होती है।
2.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित कर्मियों/शिक्षकों को नियमित करते हुए उन्हें देय सम्पूर्ण सरकारी सुविधायें प्रदान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय कार्यरत शिक्षक/कर्मी अधिसूचना संख्या–1348, दिनांक 13.02.2015 से आच्छादित नहीं है। इस कारण से इन विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों/शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा सकता है।

अक्षांश सिंह
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–16/2021...337.../राँची, दिनांक 28-02-2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 167, दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Khushbu

(73)

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में श्री सोना राम सिंकू, स०वि०स० द्वारा दिनांक 02/03/2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सु०ई०-01 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत के विभिन्न पॉलिटेकनिक संस्थानों को चलाने के लिए निजी कंपनियों के साथ MOU किया गया है और इन कंपनियों के द्वारा संस्था का नामकरण अपने कंपनी अथवा अधीनस्थ संस्था के नाम पर करते हुये संस्थान का संचालन किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक
02	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखण्ड के जलडीहा ग्राम में सरकार द्वारा निर्मित पॉलिटेकनिक संस्थान को MOU के तहत टाटा के अधीनस्थ स्वयं सेवी संस्था अपने नाम के साथ संचालन कर रही है;	अस्वीकारात्मक राजकीय पॉलिटेकनिक, जगन्नाथपुर का संचालन सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से किया जा रहा है।
03	क्या यह बात सही है कि MOU में संस्थान के संचालन हेतु नामकरण के निर्धारण का भी शर्त निहित है, जबकि इसकी आधारभूत संरचना को तैयार करने में 100 प्रतिशत सरकारी राशि का व्यय हुआ है और इन संस्थानों का नामकरण स्थानीय शहीदों यथा पोटो हो, नारा हो, आदि के नाम पर नहीं रखा गया है;	अस्वीकारात्मक
04	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन संस्थानों का नामकरण स्थानीय शहीदों के नाम पर करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इन संस्थानों का नामकरण स्थानीय शहीदों के नाम पर करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरण्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-**15/2021**/HTESD/ 277 /राँची, दिनांक- 01/03/2021

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके **ज्ञाप संख्या प्र0 199** दिनांक **24/02/2021** के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1.3.21

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

(74)

श्री नारायण दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–21 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार नयी पर्यटन नीति मे राज्य के 230 से अधिक पर्यटन स्थलों के विकास सहित 10 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का विचार वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया है;	1.	**अस्वीकारात्मक** पर्यटन नीति 2015–20, मार्च 2020 में समाप्त हो गई है तथा नयी पर्यटन नीति अभी लागू नहीं हुई है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य की ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ने के लिए गांवों को चिन्हित कर "विलेज टूरिज्म कमिटी" का गठन करने का प्रस्ताव है;	2.	**अस्वीकारात्मक** कतिपय ग्रामों को ग्रामीण पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि देवघर अन्तर्गत प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण नौखिल जहाँ विदेशी पक्षियों की आश्रणयी स्थल है, पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा वर्ष भर पर्यटक यहाँ आते रहते हैं, परन्तु पर्यटकीय दृष्टिकोण से अविकसित है;	3.	**स्वीकारात्मक**
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित विदेशी पक्षियों की आश्रणयी स्थल "नोखिल तालाब" को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित कर सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	नौखिल के विकास हेतु उपायुक्त, देवघर से प्राक्कलन प्राप्त हुआ था जिसपर तकनीकी स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची को भेजा गया है तथा साथ ही उपायुक्त, देवघर से भूमि उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन माँगा गया है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा विकास कार्य हेतु भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में नौखिल के विकास पर बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार करना संभव हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/16/2021 416 /राँची, दिनांक 01.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–183/वि०स०, दिनांक–24/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

(75)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री संजीव सरदार, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-26

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य की सभी जिलों के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावे दूसरे कार्य में लगाया जाता है;	वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं लेने के संबंध में विस्तृत निदेश मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-893, दिनांक 15.04.2015 द्वारा निर्गत है, जिसके आलोक में शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाता है। आम चुनाव एवं जनगणना से संबंधित कार्य संवैधानिक दायित्व है। इससे संबंधित कार्य लेने हेतु क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त एवं महानिदेशक जनगणना सक्षम प्राधिकार है। इसमें राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
2.	क्या यह बात सही है कि शिक्षकों को दूसरे कार्य में लगाने पर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को कठिनाई एवं पठन-पाठन में असुविधा उत्पन्न होती है;	वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षकों से मुख्यतः गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि विद्यालय में शैक्षणिक कैलेण्डर वर्ग 1 से 5 के लिए 200 दिन एवं वर्ग 6 से 8 के लिए 220 दिन निर्धारित है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शिक्षकों को खण्ड (1) में वर्णित कार्य से मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों;	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अरूण सिंह 24/2/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2-14/2021..334..../राँची, दिनांक ...24/02/...2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 176, दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अरूण सिंह 24/2/21
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(76)

प्रो॰ स्टीफन मराण्डी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-02.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-18 से संबन्धित उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जिन विधान सभा क्षेत्रों में कोई महाविद्यालय नहीं है, वहाँ डिग्री स्तरीय महाविद्यालय खोले जाने की विभागीय सहमति के बाद महेशपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत महेशपुर प्रखण्ड के कैराछतर में एक डिग्री स्तरीय महाविद्यालय भवन का कार्य निर्माणाधीन है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि महाविद्यालय भवन का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद महाविद्यालय के शीघ्रताशीघ्र संचालन हेतु कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है ;	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पत्र संख्या-189 दिनांक-23.08.2018 द्वारा डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। पद सृजन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। पद सृजन हेतु संचिका वित्त विभाग (प्रशासी पदवर्ग समिति) को भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे निर्माणाधीन महाविद्यालयों के संचालन हेतु स्थापित नियमों (अगर स्थापित हो) की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए महाविद्यालय भवन निर्माणोपरान्त भावी छात्र-छात्राओं को शीघ्रताशीघ्र पठन-पाठन बहाल करने हेतु ससमय उचित दिशा निर्देश देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका-2 में सन्निहित है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सब-2021-14/2021HTESD 276 / रांची, दिनांक- 01/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-189 दिनांक-24.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव,
उच्च शिक्षा

77

श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक –02.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं० –वन–08 का उत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि सरकार द्वारा नियम बनाया गया है कि वैसे लोग जो वर्षों से वन क्षेत्र में रहकर खेतीबाड़ी कर अपनी आजीविका चला रहे है, उन्हें वन पट्टा प्रदान किया जाना है ;	स्वीकारात्मक। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत् वन पट्टा प्रदान किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिलान्तर्गत गारू प्रखण्ड के पंचायत रूद के ग्राम विजयपुर (हुरहुरकरचा), पण्डरा, गोपखाड़, गुटुवा, कुजरूम एवं हेनार तथा बरवाडीह प्रखण्ड के ग्राम रमनदाग में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य लोग जो आजादी के पूर्व से लगभग सन् 1914 से उक्त ग्राम में रहते आ रहे है द्वारा वन पट्टा हेतु संबंधित वन पदाधिकारी को आवेदन देने के बावजूद भी वन पट्टा नहीं दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक। परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, लातेहार के पत्रांक–244, दिनांक–26.02.2021 के अनुसार ग्राम–विजयपुर के 14, पण्डरा के 20, गुटुवा के 29, कुजरूम के 51 एवं हेनार के 42 कुल–156 व्यक्तियों को नियमानुसार वन पट्टा वितरित किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–2 में निहित ग्रामों के लोगों के द्वारा वन पट्टा के अभाव में वन विभाग के कर्मियों द्वारा वन क्षेत्र को नुकसान पहुँचाने जैसे झूठे आरोपों में फंसा भी दिया जाता है ;	परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, लातेहार के पत्रांक–244, दिनांक–26.02.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ऐसी कोई सूचना प्राप्त नही है।
4.	क्या यह बात सही है, कि भूमि नहीं रहने के कारण जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र भी इनका नहीं बन पाता है, जिससे सरकारी योजनाओं एवं नियोजन में इनकी भागीदारी भी नहीं हो पा रही है ;	परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, लातेहार के पत्रांक–244, दिनांक–26.02.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ऐसी कोई सूचना प्राप्त नही है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में निहित ग्रामों के ग्रामीणों जिनके द्वारा वन पट्टा हेतु आवेदन दिया गया है, को वन पट्टा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:– 529 रांची, दिनांक:– 01/03/21

प्रतिलिपि– श्री सुरेश, अदर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 217, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/03/21

(वंदना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 529 रांची, दिनांक:– 01/03/21

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार को उनके पत्रांक–677, दिनांक–25.02.2021 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

01/03/21

(वंदना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

(78)

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में श्री बंधु तिर्की, स०वि०स० द्वारा दिनांक 02/03/2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत्त- 04 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि कौशल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पॉलीटेकनिक, धनबाद, द्वारा किया गया अवैध नामांकन के विरुद्ध निगरानी ब्यूरो, राँची में परिवाद संख्या -580/03 अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में बरती गयी अनियमितताओं की जाँच चल रही है।	स्वीकारात्मक
02	क्या यह बात सही है कि कौशल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पॉलीटेकनिक, धनबाद, को उनके द्वारा अवैध नामांकन के विरुद्ध मंत्रिमंडल (निगरानी विभाग) झारखण्ड में जाँच चलने के बावजूद उन्हें दो-दो प्रोन्नति दिया गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक वस्तुतः झारखंड लोक सेवा आयोग के स्तर पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात श्री सिन्हा को कैरियर संवर्द्धन योजनान्तर्गत (CAS) वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया। जहाँ तक निगरानी जाँच का प्रश्न है श्री कौशल किशोर सिन्हा वर्तमान में सेवानिवृत, के विरुद्ध अभी तक अभियोजन की स्वीकृति हेतु निगरानी विभाग से कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।
03	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कौशल कुमार सिन्हा (तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य), राजकीय पॉलीटेकनिक, धनबाद को दिये गए अवैध रूप से दोनों प्रोन्नति को निरस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका -2 में दिये गए उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-**03/2021**/HTESD/ 280 /राँची, दिनांक-01/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या प्र0 120 दिनांक 22/02/2021 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

(79)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री अमित कुमार मंडल, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-14

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि संकल्प संख्या–1145, दिनांक 18.07.2019 एवं पत्रांक–3027, दिनांक 14.12.2015 के आलोक में अलोच्य वर्ष के नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को उनकी नियुक्ति की तिथि से ग्रेड–1 की वरीयता निर्धारित करने हेतु सभी जिला शिक्षा अधिक्षक, झारखण्ड को निर्देशित किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने खण्ड–1 के आलोक में पत्रांक–292, दिनांक 22.10.2020 के द्वारा गोड्डा जिला में लंबित सभी ग्रेडों में प्राथमिक शिक्षक की प्रोन्नति करने के संबंध में उपायुक्त गोड्डा को पत्र प्रेषित किया था जिसका क्रियान्वयन अब तक नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गोड्डा जिले समेत अन्य जिलों में लंबित प्राथमिक शिक्षक के प्रोन्नति का विचार रखती है हाँ तो कब तक , नहीं तो क्यों,	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक– 6752, दिनांक 24.12.2020 राज्य में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रोक है। जिसके कारण प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया स्थगित है।

(हस्ताक्षर) 8/3/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–10/2021 341 /राँची, दिनांक 08-03-2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 172, दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/3/21
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(80)

श्री कुशवाहा (डॉ०) शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–24 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू सतबरवा प्रखण्ड तीन विधान–सभा क्षेत्रों को जोड़ती है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि मलय डैम पर प्रतिदिन हजारो पर्यटक वहाँ पहुंचते हैं और पर्यटक नाव का सवारी कर एक किनारा से दूसरा किनारा पहुँचते है तथा उक्त स्थल का भ्रमण कर आनन्दित होते हैं;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मलय डैम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	दिनांक 27.01.2021 को सम्पन्न राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के बैठक में इस स्थल को श्रेणी "C" के पर्यटक स्थल अधिसूचित करने की अनुशंसा की गई है तथा यह स्थल पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की प्रक्रिया में है। श्रेणी "C" के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विभाग से जिला पर्यटन संवर्धन समिति के अध्यक्ष (उपायुक्त) को Untied Fund (अनाबद्ध निधि) (पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति को अनुदान मद से) आवंटित किया जाता है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति के अनुशंसानुसार उपायुक्त द्वारा जिला के पर्यटक स्थलों पर विकास कार्य की स्वीकृति दी जाती है। विगत 4 वित्तीय वर्षों में पलामू जिला को रू० 3.50 करोड़ की अनाबद्ध निधि इन कार्यों हेतु दी गई है, जिससे जिला के विभिन्न पर्यटक स्थलो पर विकास कार्य कराया गया है। प्रश्नाधीन स्थल पर पर्यटकीय विकास आगामी वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति को उपलब्ध निधि व समिति के निर्णय पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/18/2021....H21..../राँची, दिनांक 01-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–186/वि०स०, दिनांक–24/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

Jharkhand tourism

(81)

455
01/03/2021

<table>
<tr><td colspan="3">श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स–05
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–</td></tr>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसांवा जिला अन्तर्गत राजकीय +2 उच्च विद्यालय, खरसांवा क्षेत्र का सबसे पुरातन विद्यालय है ;</td><td>स्वीकारात्मक है।
राजकीय +2 उच्च विद्यालय, खरसांवा, सरायकेला–खरसांवा की स्थापना वर्ष 1948 में हुई है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि ऊपर वर्णित विद्यालय का भवन काफी पुराना होने के कारण जर्जर अवस्था में आ गया है ;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक है।
राजकीय +2 उच्च विद्यालय, खरसांवा, सरायकेला–खरसांवा के पुराने भवन खंड में 01 हॉल, 09 वर्ग कक्ष, 01 प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय कक्ष एवं 04 प्रयोगशाला कक्ष है, के सुदृढ़िकरण की आवश्यकता है।
इस विद्यालय में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं कल्याण विभाग के सहयोग से विद्यालय के नये भवन खण्ड में नवनिर्मित कक्ष निम्नांकित हैं :–
<table><tr><th>वर्ष</th><th>योजना</th><th>वर्ग कक्ष की संख्या</th></tr><tr><td>2017–18</td><td>राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान</td><td>02</td></tr><tr><td>2018–19</td><td>कल्याण विभाग</td><td>02</td></tr><tr><td>2019–20</td><td>कल्याण विभाग</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="2">कुल</td><td>14</td></tr></table>
वर्तमान में पुराना भवन सहित नवनिर्मित 14 वर्ग कक्षों का उपयोग पठन–पाठन हेतु किया जा रहा है। विद्यालय में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय +2 उच्च विद्यालय, खरसांवा में नये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?</td><td>विद्यालय के पुराने भवन में मरम्मति की आवश्यकता एवं नामांकन के सापेक्ष कक्षों की आवश्यकता का आकलन करते हुए आगामी वर्ष के कार्य योजना एवं बजट में स्वीकृति हेतु संबंधित जिले से प्रस्ताव की मांग की गयी है।</td></tr>
</table>

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–03/2021 455 राँची, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021
सरकार के उप सचिव।

(82)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री सोनाराम सिंकु, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-29

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	श्री निथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के ही जगन्नाथपुर प्रखण्ड के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिनसाई में है जो कई वर्षों से संचालित नहीं है, जबकि सरकार के द्वारा इस महाविद्यालय में वर्षों से आधार भूत संरचना के विकास में काफी राशि का व्यय किया गया है,	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 लागू होने के उपरांत किसी भी महाविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की मान्यता आवश्यक है। मान्यता हेतु निर्धारित आधारभूत संरचना विद्यमान रहने की बाध्यता है।
2.	क्या यह बात सही है कि बिनसाई स्थित यह महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापन परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्रदान नहीं किये जाने के कारण संचालित नहीं है, जबकि इस महाविद्यालय में वर्तमान में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी भी पदस्थापित हैं,	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करने हेतु ही शिक्षकों का पदस्थापन प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया गया है तथा सभी अध्यापक अपने विद्यालय/मूल पदस्थापन पर कार्यरत है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्थानीय छात्रों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए खण्ड-1 में वर्णित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को संचालित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रक्रियात्मक त्रुटि को दूर कर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को संचालित किया जायेगा।

28/2/2021
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–12/2021-344 /राँची, दिनांक 28-02-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 175, दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/2021
सरकार के अवर सचिव

Khunshi

(83)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा0 स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– 'स'–02 दिनांक–02.03.2021

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या बात सही है कि अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, खूँटी द्वारा वर्तमान जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी के काले कारनामें, अभद व्यवहार एवं भयादोहन की शिकायत का ज्ञापन जून 2020 एवं 18.01.2021 को दिया गया है;	उपायुक्त, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, खूँटी के द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को विद्यालय निरीक्षण पर रोक लगा दिया गया है लेकिन फिर भी जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है;	उपायुक्त, खूँटी के आदेश ज्ञापांक–15(आ0)/गो0 दिनांक–19.01.2021 द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी को संबंधित अंचल अधिकारी के साथ विद्यालयों के निरीक्षण का निदेश दिया गया है। उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक–94/गो0 दिनांक–24.02.2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी के द्वारा विद्यालय का स्वयं निरीक्षण करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
3.	क्या यह बात सही है कि जिले के महिला शिक्षिकाओं के प्रसव अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी को प्राधिकृत किया गया है;	उपायुक्त, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उत्तर स्वीकारात्मक है
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों में उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी के कार्य–कलापों की जाँच कराकर, उचित कार्रवाई पर विचार करती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। श्री महेन्द्र पाण्डेय, जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी के कार्यकलापों से संबंधित कंडिका–1 में वर्णित परिवाद पत्र की जाँच हेतु उपायुक्त, खूँटी द्वारा अपने पत्रांक–14(आ0)/गो0 दिनांक–18.01.2021 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी को यथाशीघ्र जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित

		करने का निदेश दिया गया है। विभाग को एतद् संबंधी परिवाद पत्र प्राप्त है; जिसकी जाँच हेतु उपायुक्त, खूँटी को विभागीय पत्रांक–583 दिनांक–24.02.2021 द्वारा अनुरोध किया गया है।

01/03/2021
(विश्वनाथ झा)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–04 / वि0–01 / 2021 629 / राँची, दिनांक 01-03-2021 /

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2021.
(विश्वनाथ झा)
सरकार के अवर सचिव।